शोध मंथन ISSN: (P): 0976-5255 (e): 2454-339X Impact Factor 6.726 (SJIF)
Vol. X, No.IV, pp (1083-1091) Oct.- Dec. 2019

जौनपुर जनपद में भूमि उपयोग प्रतिरूप

श्यामली देवी
भूगोल विभाग विभाग,
दी0दी0यू0गो0वि0, गोरखपुर।
Email: shym521981@gmail.com

सारांश

भूमि संसाधन, धरातल पर मनुष्य द्वारा किये गये सभी विकास कार्यों को अपने में समाहित करता है। भूमि पर मनुष्य द्वारा विभिन्न प्रकार के क्रिया–कलाप किये जाते हैं, जिसमें वन एवं चारागाह, कृश्य बंजर, परती भूमि, ऊसर एवं बंजर एवं चारागाह, उद्यान एवं बागवानी एवं शुद्ध कृषित भूमि सम्मिलित होती है। सम्प्रति भूमि उपयोग, भौगोलिक अध्ययन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तनशील पक्ष है, क्योंकि प्रारम्भिक काल से यह मानव प्रविधि विकास क्रम के अनुसार परिवर्तित होता गया। वर्तमान में भी परिवर्तन आना प्रारम्भ हुआ है।

प्रस्तावना

फाक्स के अनुसार Land utilization is the process of exploiting the Land treasure that is applied to specific objectives. अर्थात भूमि उपयोग, भूमि संसाधन की एक शोषण प्रक्रिया है जिसमें भूमि का व्यावहारिक प्रयोग किसी निश्चित उद्देश्य से किया जाता है। आर0वारलों के अनुसार भूमि संसाधन का उपयोग, भूमि समस्या एवं उसके नियोजन की विवेचना की वह धूरी है, जिसके अध्ययन के लिए निम्नलिखित दृष्टिकोण महत्वपूर्ण हैं–

1. आर्थिक दृष्टि से सम्यक समाज की स्थापना
2. भूमि संसाधन के अनुकूलतम उपयोग का निर्धारण
3. विभिन्न लागत कारकों यथा पूंजी श्रम आदि के अनुपात से भूमि से अधिकतम लाभ प्राप्त करना।
4. फसलगत भूमि के उपयोग में मांग के आधार पर लाभदायक सामंजस्य तथा परिवर्तन का सुझाव।
5. किसी क्षेत्र के लिए अनुकूलतम एवं बहुउद्देशीय भूमि उपयोग की विवेचना करना तथा उसके सुझावों को क्षेत्रीय अंगीकरण हेतु समन्वित करना।

इस प्रकार भूमि उपयोग का अध्ययन एक उपयोगी प्रक्रिया है जिसमें किसी क्षेत्र में पायी जाने वाली भूमि के अनुकूलतम उपयोग की प्रायोजना निर्मित की जाती है, जिससे मानव समाज को अधिकतम लाभ प्राप्त हो सकें। इसमें यह भी अनुशीलन किया जाता है कि ऊसर एवं बंजर भूमि तथा कृषि अयोग्य भूमि को कैसे कृषि योग्य भूमि के रूप में परिवर्तित किया जा

सकता है। स्वाभाविक है कि इससे फसलोत्पादन का परिक्षेत्र बढ़ेगा जिससे खाद्य संसाधन की दृष्टि से क्षेत्र स्वावलम्बी बनेगा। भारत में अपनायी गई चकबन्दी, भूमि उपयोग नियोजन से सम्बन्धित एक प्रक्रिया है जिससे विभिन्न उपयोग वाली भूमियों को जो अलग–अलग Patches के रूप में पायी जाती है, उन्हें एक स्थान पर परिसीमित करना तथा कृषित भूमि के अन्तर्गत अवस्थित छोटो जोतों के खेतों को एक साथ सम्बद्ध करना जिससे उसमें किसानों के द्वारा सिंचाई, फसल संरक्षण एवं अन्य नवाचार सम्बन्धी प्रयोग किये जा सकें। जौनपुर जनपद के सन्दर्भ में यह तथ्य उल्लेखनीय है कि यहाँ वन मात्र 0.066 प्रतिशत क्षेत्र पर एवं चारागाह 0.33 प्रतिशत परिक्षेत्र पर एवं उद्यान, बाग, झाड़ियां 1.16 प्रतिशत परिक्षेत्र पर प्रतिवेदित है जो कि कुल प्रतिवेदित नहीं है, क्योंकि मैदानी परिक्षेत्र में न्यूनतम 10 प्रतिशत क्षेत्र वनों, उद्यान, बाग के अन्तर्गत होना चाहिए। इसके अतिरिक्त न्यूनतम 5 प्रतिशत भाग चारागाह के रूप में होना चाहिये। इससे समन्वित भूमि उपयोग का लाभ मानव समाज को प्राप्त हो सकता है।

उद्देश्य एवं विधि तन्त्र

प्रस्तुत शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य वर्ष (2014–2015) के ऑकडों के आधार पर जनपद जौनपुर बदलते भूमि उपयोग प्रतिरुप के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करना।

प्रस्तुत अध्ययन में जिला सांख्यिकीय पत्रिका से प्राप्त ऑकडों (2014–2015) का प्रयोग किया गया है। तथ्यों के विश्लेषण हेतु सामान्य सांख्यिकीय विधि का प्रयोग करते हुए विश्लेषणात्मक प्रविधि का प्रयोग किया गया है। विश्लेषण इकाई हेतु विकास खण्डों को आधार बनाया गया है। प्रस्तुत अध्ययन में जनपद जौनपुर में बदलते भूमि उपयोग प्रतिरुप का विस्तृत विश्लेषण किया गया है।

अध्ययन क्षेत्र,

जौनपुर जनपद 25^0 24′ उत्तरी अक्षांश से 26^0 12′ उत्तरी अक्षांश तथा 82^0 7′ पूर्वी देशान्तर से 83^0 5′ पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। चित्र संख्या 01 से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र जौनपुर जनपद के उत्तर एवं उत्तर–पश्चिम में सुल्तानपुर जनपद, पूर्व में आजमगढ़ और गाजीपुर जनपद, दक्षिण में वाराणसी जनपद, दक्षिण– पश्चिम में संत रविदास नगर जनपद (भदोही) तथा पश्चिम में इलाहाबाद एवं प्रतापगढ़ जनपद अवस्थित है।

अध्ययन क्षेत्र की भौगोलिक सीमा पूर्णतः कृत्रिम है। अध्ययन क्षेत्र का भौगोलिक क्षेत्रफल 3997.13 वर्ग किमी0 है, जिसमें 3967.55 वर्ग किमी0 ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत तथा 29. 58 वर्ग किमी0 नगरीय क्षेत्र के अन्तर्गत है। जनपद की 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या 4476072 है, जिसमें पुरूषों की संख्या 2217635 है और महिलाओं की संख्या 2258437 है। जनपद का जन–घनत्व 1108 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी0 है। लिंगानुपात प्रति हजार पुरूषों पर महिलाओं की संख्या 1018 है। जनपद में औसत साक्षरता 73.60 प्रतिशत है, जसमें पुरूषों की साक्षरता 86.06 प्रतिशत एवं महिलाओं की साक्षरता 61.70 प्रतिशत है।

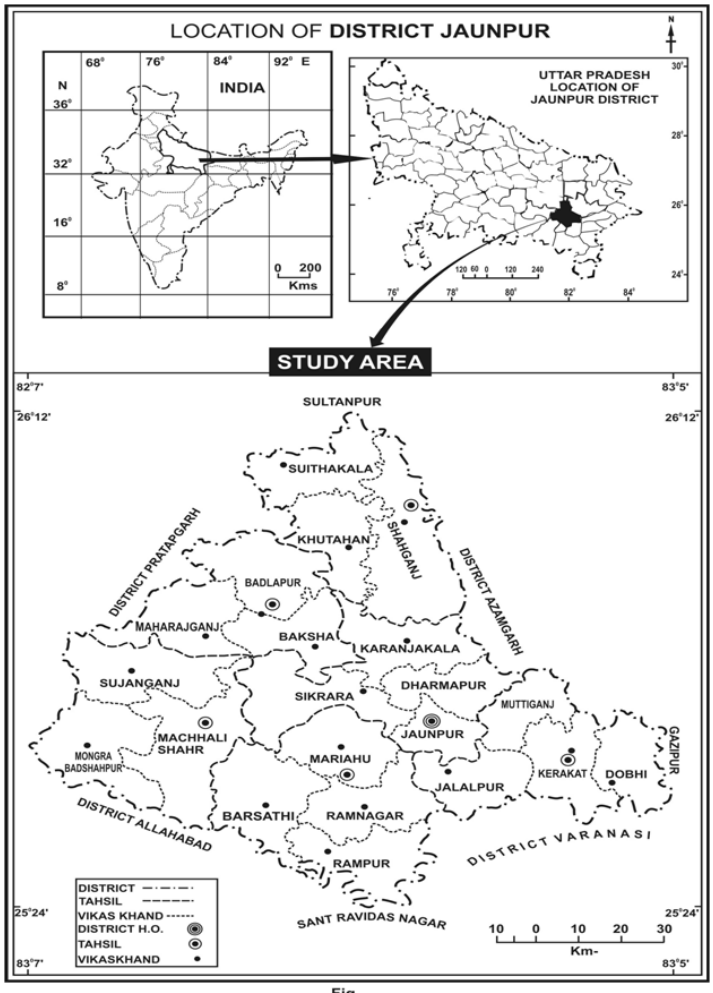

Fig.
चित्र संख्या 01

जौनपुर जनपद गोमती, बसूही एवं वरूणा नदी के अपवाह क्षेत्र में स्थित एक समतल मैदानी भु–भाग है, जिसमें उपजाऊ दोमट मिट्टी का निक्षेप होने के कारण कृषि कार्य हेतु बहुत ही अनुकूल है। सामान्य भूमि उपयोग पर क्षेत्र के प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक कारकों का प्रभाव पड़ता है। इसी तरह भूमि की उपयोगिता पर धरातलीय दशा– जलवायु, मिट्टी, वनस्पति, आदि कारकों के साथ–साथ मानवीय क्रिया–कलापों का भी अधिक प्रभाव पड़ता है। जनपद में सामान्य भूमि उपयोग प्रतिरूप निम्न तालिका–1 में प्रदर्शित है–

तालिका–1

जौनपुर जनपद : सामान्य भूमि उपयोग प्रतिरूप (2013–14)

क्र0सं0	भूमि उपयोग क्षेत्र	क्षेत्रफल (हे0 में)	प्रतिशत
1	वन क्षेत्र	264	0.03
2	कृषि योग्य बंजर भूमि	7811	0.92
3	वर्तमान परती	32896	3.91
4	अन्य परती	19010	2.26
5	ऊसर एवं बंजर	6874	0.81
6	कृण्येत्तर अन्य उपयोग	47896	5.69
7	चारागाह	1338	0.15
8	उद्यान, बाग एवं झाड़ियॉ	4676	0.55
9	शुद्ध बोया गया क्षेत्र	278948	33.19
10	अ–शुद्ध सिंचित क्षेत्र	248658	29.58
	ब– दो फसली भूमि	19080	22.85
	कुल प्रतिवेदित क्षेत्र	840451	100

स्रोत–जिला साख्किीय पत्रिका जौनपुर

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि जनपद में कुल प्रतिवेदित क्षेत्र 840,451 हेक्टेयर है, जिसमें 33.19 प्रतिशत भाग पर कृषि कार्य किया जाता है, जबकि 0.92 प्रतिशत भाग पर कृषि योग्य बंजर भूमि है। वर्तमान परती एवं अन्य परती का भाग क्रमशः 3.91 व 2.26 प्रतिशत है। क्षेत्र के 0.81 प्रतिशत भाग पर ऊसर एवं बंजर क्षेत्र का विस्तार है। कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग में 5.69 प्रतिशत भूमि संलग्न है। उद्यान, बाग एवं झाड़ियों के अन्तर्गत 0.55 प्रतिशत भूमि है, जो मात्रा एवं उपयोग की दृष्टि से नगण्य है। तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट है कि कृषि योग्य बंजर भूमि एवं अन्य परती के अन्तर्गत कुल 7.09 प्रतिशत भूमि है जिसे उपचारित कर कृषि योग्य बनाया जा सकता है। भूमि उपयोग के क्षेत्रीय प्रतिरूप के अध्ययन हेतु विकास खण्ड स्तर पर विभिन्न उपयोग में आने वाली भूमि का क्षेत्रफल निम्न तालिक में प्रदर्शित किया गया है।

जनपद जौनपूर में विकास खण्डवार भूमि उपयोग प्रतिरुप (प्रतिशत में) वर्ष 2014–15

क्रम	विकासखण्ड	शुद्व बोया गया क्षेत्र	वर्तमान परती व अन्य परती	वन,चारागाह व उद्यान	कृषि ,बेकार व ऊसर भूमि	अन्य उपयोग की भूमि
1	सुइथाकला	61.01	20.25	1.39	3.29	14.06
2	शाहगंज	63.84	17.87	1.20	3.85	13.60
3	खुटहन	62.56	14.50	1.91	3.55	17.48
4	करंजाकला	75.56	06.43	1.84	3.57	12.20
5	बदलापुर	74.97	09.23	3.10	3.06	09.64
6	महाराजगंज	71.28	13.86	1.14	2.84	10.90
7	बक्सा	76.14	06.42	2.17	1.73	13.54
8	सुजानगंज	70.70	11.53	1.85	2.92	12.95
9	मुंगराबादशाहपुर	71.73	09.98	0.44	4.90	12.95
10	मछलीशहर	71.24	11.96	1.04	4.83	10.93
11	मडियाहू	71.38	13.36	1.28	4.22	09.79
12	बरसठी	68.54	14.03	0.77	5.47	11.19
13	सिकरारा	74.62	09.94	2.70	3.32	09.42
14	धर्मापुर	73.75	06.26	3.02	3.39	13.58
15	रामनगर	69.38	13.81	1.24	5.35	10.22
16	रामपुर	66.25	17.46	1.38	4.12	10.80
17	मुफ्तीगंज	72.98	12.33	1.47	2.98	10.24
18	जलालपुर	72.75	10.71	2.40	3.20	10.88
19	केराकत	72.53	11.86	1.33	3.04	11.26
20	डोभी	73.05	13.03	1.83	2.64	09.45
21	सरकोनी	63.78	19.36	2.27	2.46	12.13
	योग	**1478.04**	**264.18**	**35.77**	**74.73**	**247.21**

उपरोक्त तालिका के अनुशीलन से स्पष्ट है कि भूमि उपयोग की दृष्टि से इस क्षेत्र का विशेष महत्व है, क्योंकि कृषि संबंधी उत्पादनों पर ही लोगों की आजीविका निर्भर करती है। उक्त तालिका एक (चित्र संख्या–2) के आधार पर भूमि उपयोग के प्रमुख संवर्गों का वर्णन निम्नवत है–

 Available at: *http:/shodhmanthan.anubooks.com/* https://doi.org/10.31995/shodhmanthan

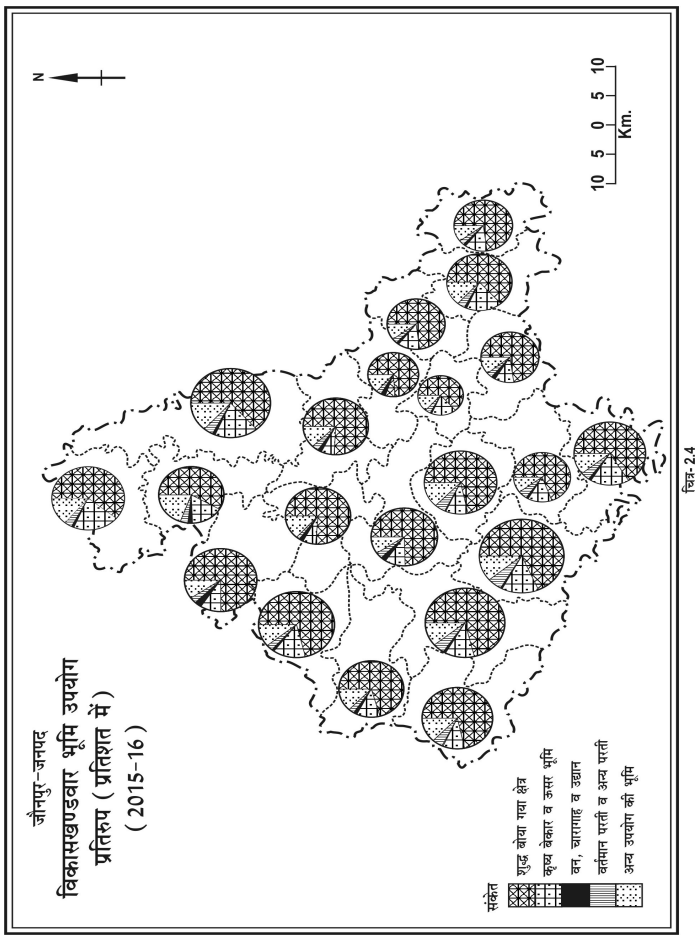

(चित्र संख्या–2)

1. कृष्य,बंजर व परती भूमि–

इसके अन्तर्गत ऐसी भूमि सम्मिलित है जो कि बंजर एवं परती होने के बावजूद कृषि कार्य हेतु उपयोग में लायी जा सकती है,लेकिन वर्तमान में इसमें कृषि कार्य नहीं किया जाता है। इसमें भी बहुत अधिक क्षेत्रीय भिन्नता विद्यमान है। इसका सर्वाधिक प्रतिशत 19.50 बरसठी विकास खण्ड एवं न्यूनतम प्रतिशत 8.15 बक्सा विकास खण्ड में पाया जाता है। बरसठी के अतिरिक्त रामनगर, मुंगराबादशाहपुर विकासखण्ड में क्रमशः 18.5 व 14.9 प्रतिशत है। इससे स्पष्ट है कि इन तीन विकास खण्डों में बंजर एवं परती भूमि का विस्तार अधिक है, जिसका उपयोग भविष्य में आवश्यकतानुसार कृषि फलोत्पादन एवं अन्य उद्यमों की स्थापना में किया जा सकता है।

2. वन, चारागाह एवं उद्यान–

इस भूमि का पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से क्षेत्र की लगभग 30 प्रतिशत भूमि वनों, चारागाह एवं उद्यान के रूप में आच्छादित होना चाहिए, लेकिन भूमि पर जनसंख्या के अधिक भार के कारण खाद्यान्न की मांग दिन–प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिससे इससे संबंधित भूमि कषषि कार्य के अन्तर्गत प्रयुक्त की जा रही है। परिणामस्वरूप जनपद में ही नहीं पूरे प्रदेश एवं देश में इस संवर्ग की भूमि में निरन्तर ह्रास हो रहा है।

3. कृष्येत्तर अन्य उपयोग की भूमि–

इस भूमि के अन्तर्गत वह भूमि सम्मिलित है जिसका उपयोग कृषि कार्य के अतिरिक्त कार्यों में किया जाता है जैसे आवास निर्माण, खलिहान, खेल मैदान, स्कूल, सड़क निर्माण इत्यादि। इसके क्षेत्रीय वितरण में समानता भी दृष्टिगत होती है, जिसका न्यूनतम प्रतिशत 9.42 सिकरारा विकास खण्ड में तथा अधिकतम 17.48 प्रतिशत खुटहन विकास खण्ड में विद्यमान है। इस भूमि का उपयोग कृषि कार्य के लिये नहीं किया जा सकता हैं जनसंख्या वृद्धि के साथ अधिवास, सड़क एवं नहर सिंचाई सुविधाओं की स्थापना में निरन्तर वृद्धि होने से इसके प्रतिशत में वृद्धि होना स्वाभाविक है।

4. ऊसर एवं बंजर भूमि–

यह भूमि क्षारीय, कंकरीली, पथरीली होने के कारण कृषि कार्य हेतु अनुपयोगी होती है, जिससे इसका आर्थिक उपयोग समाज द्वारा नहीं किया जाता है और यह रिक्त रूप से पायी जाती है। कुल प्रतिवेदित क्षेत्र के 3.44 प्रतिशत भाग पर इसका विस्तार है। इसके क्षेत्रीय वितरण में पर्याप्त क्षेत्रीय भिन्नता दृष्टिगत हो रही है। इसका न्यूनतम प्रतिशत 1.73 बक्सा विकासखण्ड में जबकि अधिकतम 5.47 प्रतिशत बरसठी विकासखण्ड में पाया जाता है। नहरों के विस्तार एवं अनियंत्रित सिंचाई से भूमि में क्षारीयता का प्रतिशत बढ़ जाता है, जिससे यह भूमि कुछ वर्षों बाद ऊसर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसमें बीजारोपण सम्भव नहीं है। वर्तमान में संचालित विभिन्न तकनीकों द्वारा इस भूमि को उपचारित कर इसका उपयोग कृषि आनुशंगिक अन्य कार्यों में किया जा सकता है।

5. शुद्ध कृषि भूमि–

क्षेत्र में निरन्तर बढ़ती हुयी जनसंख्या, सिंचाई के साधनों के विस्तार, समतल उपजाऊ भूमि एवं अनुकूल मानसूनी जलवायु के कारण जनपद के कृषि परिक्षेत्र में वृद्धि हुयी है। ग्रामीण परिक्षेत्र के कुल 277598 हेक्टेयर भूमि पर कृषि कार्य किया जाता है, जो कुल प्रतिवेदित क्षेत्र का 70.38 प्रतिशत है। यहां शुद्ध कृषित भूमि का क्षेत्रीय प्रतिरूप निम्न तालिका में प्रस्तुतहै–

तालिका–3

जौनपुर जनपद : शुद्ध कृषित भूमि (2014–15)

संवर्ग	मान (प्रतिशत) में	विकासखण्डों का क्रम	संख्या
न्यून	<65	1,2,3,21	04
मध्यम	65–70	12,15,16	03
मध्यम –उच्च	70–75	5,6,8,9,10,11,13,14,17,18,19,20	12
उच्च	>75	4,7	02
योग	–	–	21

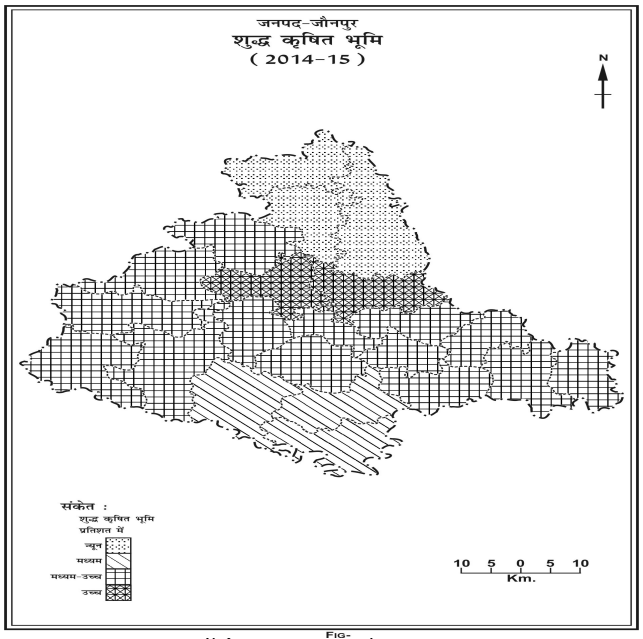

Fig-

(चित्र सख्या 03)

उपरोक्त तालिका एवं (चित्र संख्या 03) के अनुशीलन से स्पष्ट है कि शुद्ध कृषित भूमि के क्षेत्रीय वितरण में पर्याप्त भिन्नता दृष्टिगत होती है। न्यूनतम संवर्ग के अन्तर्गत चार विकास खण्ड यथा सुइथाकला, शाहगंज, खुटहन एवं सिरकोनी सम्मिलित है। शुद्ध कृषित भूमि का न्यूनतम प्रतिशत (61.01) सुइथाकला विकासखण्ड में पाया जाता है। मध्यम संवर्ग के अन्तर्गत केवल तीन विका सखण्ड बरसठी, रामपुर व रामनगर सम्मिलित है मध्यम–उच्च संवर्ग के अन्तर्गत विकास खण्ड यथा बदलापुर, महराजगंज, सुजानगंज, मुंगराबादशाहपुर, मछलीशहर, मडियाहू, सिकरारा, धर्मापुर, मुफ्तीगंज, जलालपुर, केराकत व डोमी विकास खण्ड सम्मिलित है। इसमें सर्वाधिक प्रतिशत 74.97 बदलापुर का है। उच्च संवर्ग के अन्तर्गत केवल दो विकास खण्ड

करंजाकला (75–56 प्रतिशत) और बक्सा (76–14 प्रतिशत) सम्मिलित है। गोमती, वसूही, वरूणा व पीली नदियों के किनारे स्थित विकास खण्डों में नदी विसर्प एवं बाढ़ आदि से प्रभावित होने के कारण शुद्ध कृषित भूमि का प्रतिशत अपेक्षाकृत कम पाया जाता है।

जौनपुर जनपद के भूमि उपयोग प्रतिरूप के गहन विवेचन से स्पष्ट होता है कि यहां शुद्ध बोया गया क्षेत्र 70.38 प्रतिशत है, यह राष्ट्रीय औसत 46.48 एवं प्रदेश के औसत 68.93 प्रतिशत से अधिक है, जो कृषि कार्य हेतु पर्याप्त है। लेकिन यहां पर तथ्य उल्लेखनीय है कि वन व चारागाह का क्षेत्र एक प्रतिशत से भी कम है जो चिंताजनक है। उद्यान, बाग एवं झाड़ियों का क्षेत्र भी मात्र 0.55 प्रतिशत है। यह भी मानक से काफी कम है। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जनपद की लगभग 7.17 प्रतिशत भूमि वर्तमान परती, अन्य परती, ऊसर एवं बंजर के अन्तर्गत है, जो किसी आर्थिक कार्य में प्रयुक्त नहीं होती है। जनसंख्या की निरन्तर वृद्धि को देखते हुए अनुकूलता के अनुरूप इसे शुद्ध कृषित क्षेत्र में परिवर्तित किया जा सकता है। इस कार्य हेतु मिट्टी के परीक्षण और उसकी विशेषताओं के अनुरूप उपचारित कर उद्यान व बाग के क्षेत्र में वृद्धि की जा सकती है क्योंकि क्षेत्र सर्वेक्षण से यह ज्ञात हुआ है कि इस जनपद में उद्यान कृषि का विशेष महत्व है, इसके साथ–साथ जनपद में सब्जी की कृषि बड़े पैमाने पर की जाती है। इसके अतिरिक्त सिंचाई के साधनों में वृद्धि द्वारा द्विफसली भूमि को बढ़ाया जा सकता है, जिससे कुल उत्पादन में वृद्धि कर कृषकों की आर्थिक दशा को समुन्नत किया जा सकता है।

सन्दर्भ ग्रंथ

1. *जिला सांख्यिकीय पत्रिका* (2014–2015) उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. पाण्डेय, जे0एन0 तथा कमलेश, एस0 आर0 (1999): *कृषि भूगोल,* बसुन्धरा प्रकाशन, गोरखपुर।
3. सिंह, ब्रजभूषण (1971): *भूमि उपयोग क्षमता, अवस्था एवं अनुकुलतम भूमि उपयोग,* उत्तर भारत भूगोल पत्रिका, अंक 7 (2), **6–12**
4. शंकर,रमा (2016), *"भूमि उपयोग एवं जनसंख्या अन्तर्सम्बन्ध : जनपद इलाहाबाद (उ0प्र0)का एक भौगोलिक अध्ययन"* पी0एच0डी0 शोध प्रबन्ध भुगोल विभाग काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी, पृष्ठ संख्या **211–220**
5. मिश्र,श्रीकान्त (1976), *भारत में कृषि विकास,* शारदा प्रिटिंग प्रेस, दिल्ली,पृ0संख्या **102**
6. हुसैन, एम0 (1999), *मानव भूगोल,* रावत पब्लिकेशन्स,नई दिल्ली
7. Chauhan,D,S (1996), Studies in Utilzation of Agricultural Land Agrawal.& con Agra, pp.**22-24**
8. Ronald,R.Rana, *Land Economic Principles Geography*-A Reader,Mc Graw Hill, New York.
9. Singh.B.B (1977), *"Concept of Land Utilazation, I*ndia Geography Reriew" Vol.11.